अत्यावश्यक

मध्यप्रदेश शासन
राजस्व विभाग, मंत्रालय

क्रमांक नि.स./प्र.स.रा./2014/2244 भोपाल, दिनांक 24 नवम्बर 2014

प्रति

समस्त कलेक्टर
मध्यप्रदेश।

विषय : **स्थानान्तरण आदेशों के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय से स्थगन प्राप्त प्रकरणों में कार्यवाही बावत ।**

राज्य शासन द्वारा अभी हाल ही में तहसीलदारों के स्थानान्तरण आदेश जारी किए गए थे किन्तु कुछ तहसीलदारों द्वारा उक्त स्थानान्तरण आदेश के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय में याचिकायें प्रस्तुत कर, स्थगन प्राप्त किया गया है।

2. तत्संबंध में निर्देशित किया जाता है कि आपके जिले में पदस्थ ऐसे तहसीलदार जिन्होंने स्थानान्तरण आदेश के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय से स्थगन प्राप्त कर लिया है की जानकारी तत्काल इस कार्यालय को भेजें तथा उक्त प्रकरणों में प्रभारी अधिकारी की नियुक्ति करते हुए, स्थगन निरस्त कराने की कार्यवाही कर अवगत कराएं।

(अरूण तिवारी)
प्रमुख सचिव
म.प्र.शासन, राजस्व विभाग

पृ.क्रमांक नि.स./प्र.स.रा./2014/2245 भोपाल, दिनांक 24 नवम्बर 2014

प्रतिलिपि –

1. प्रमुख राजस्व आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल।
2. समस्त संभागायुक्त, मध्यप्रदेश

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

प्रमुख सचिव
म.प्र.शासन, राजस्व विभाग